चित्तौड़गढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा
बदरूद्दीन बनाम राज0 सरकार
GCMS No- 2022/45
प्रकरण संख्या 13/2022

# न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 13/2022
जीसीएमएस न0 2022/45

1. श्री बदरूद्दीन पिता वहीदुद्दीन जी मन्सुरी जाति मुसलमान निवासी निम्बाहेडा तह0निम्बाहेडा राज0 .........प्रार्थी

/बनाम/

2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदारं सा0 निम्बाहेडा राज0 .......विपक्षी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :– 1– प्रार्थी की और से:– अधिवक्ता श्री वसीम मन्सुरी

2–विपक्षी सं0 1 की और से:– पेरोकार सरकार स्वयं उपस्थित

## :: निर्णय ::

दिनांक 14.09.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि वाके मोजा सांगरिया प0ह0 बडोलीमाधोसिंह तह0निम्बाहेडा में वर्तमान खाता सं0 6 की आ0नं0 282 रकबा 0.5700 हेक्टैयर स्थित हैं।

2. उक्त वर्णित आराजियात में नूरूदीन मन्सुरी (नद्दाफ) का इंतकाल होने पर उक्त आराजियात उनके पॉच पुत्रो –हाफिज अब्दुल हमीद,ख्वाजा हुसैन, आजमुद्दीन, वहीदुद्दीन, सईदुद्दीन के नाम पर इंतकाल नामान्तरकरण दिनांक 27.04.62 को खोला गया, परन्तु जब रोटेशन बदला तो लिपिकीय त्रुटी से हाफीज अब्दुल हमीद जो कि एक ही व्यक्ति है उसके नाम से इंतकाल में दो नाम दर्ज हो गये पहला अब्दुल हमीद एवं दूसरा हफीज खॉ दर्ज हुआ, जबकि हाफीज अब्दुल हमीद एक ही नाम हैं तथा अब्दुल हमीद एवं हफीज खॉ अलग अलग पुत्र नहीं हैं। इसलिये उक्त नाम की अशुद्धी को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:53:40 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र पेश कर निवेद[illegible] उक्त त्रुटी के कारण जमाबंदी में नूरूद्दीन जी के पॉच पु[illegible] जमाबंदी में दर्ज हो गये है जो लिपिकीय त्रुटी से हुआ है इसलिये वर्तमा[illegible]बंदी खाता सं0 6 मोजा [illegible] प0ह0 बडोलीमाधोसिंह की आराजी नं0 282 [illegible] 0.5700 हेक्टैयर में नरूद्दीन के पॉच पुत्रो हाफिज अब्दुल हमीद, ख्वाजा हु[illegible], आजमुद्दीन, वहीदुद्दीन, सईदुद्दीन का नाम दर्ज किया जाकर नामान्तरकरण शुद्ध किया जाना आवश्यक हैं व जमाबंदी रेकार्ड में अब्दुल हमीद एवं हफीज खॉ के दो नाम जमीन इन्द्राज है इसलिये जमाबंदी रेकार्ड से क्रम सं0 5 पर अंकित खातेदार हफीज खॉ पुत्र नूरूद्दीन का नाम विलोपित किया जाकर उनका एक ही पुरा नाम हफीज अब्दुल हमीद नाम दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं साथ ही क्रम सं0 6 पर अंकित हुसैन



उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

खॉ पिता नूरूद्दीन के बजाय सही नाम ख्वाजा हुसैन पिता नूरूद्दीन इन्द्राज दुरूस्त कर राजस्व रेकार्ड में शुद्धि किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा जवाब एवं अनुशंषा कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया गया और साथ में पटवारी हल्का बडोलीमाधासिंह एवं भू अभिलेख निरीक्षक जावदा की मौका रिपोर्ट संलग्न कर पेश की तथा तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी संवत् 2077–80 में खाता संख्या 6 आ0नं0 282 रकबा 0.57 हैक्टेयर खातेदार श्री आजमुद्दीन पुत्र नुरूद्दीन 1/6, अब्दुल हमीद पुत्र नुरूद्दीन 1 /6, वहीदुद्दीन पुत्र नुरूद्दीन 1 /6, साईदुद्दीन पुत्र नुरूद्दीन 1/6, हफीज खां पुत्र नुरूद्दीन 1/6, हुसैन पुत्र नुरूद्दीन 1/6 जाति मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज रेकार्ड है। साबिक गत जमाबन्दी मौजा सांगरिया में संवत् 2026–2029 में खाता सं. 2 आ.नं. 229/569 रकबा 2.05 बीघा खातेदार अब्दुल हमीद (हाफीज), ख्वाजा हुसैन, आजमुद्दीन, वहीदुद्दीन, सईदुद्दीन पिता नुरूद्दीन मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा के नाम दर्ज नामान्तरण संख्या 40 स्वीकृत दिनांक 4.5.1962 से स्वीकृत होकर दर्ज हुई थी। साबिक आ0नं0 229/569 रकबा 2.05 बीघा के वर्तमान हाल आराजी संख्या 282 बने हुये हैं साबिक जमाबन्दी व नामान्तरण में नुरूद्दीन की विरासत से नाम अंकित हुए जोकि पांच पुत्र के नाम दर्ज हुई थी। इसी प्रकार उक्त खातेदार की संलग्न जमाबन्दी नकल ग्राम निम्बाहेड़ा में भूप्रबंध विभाग सम्वत् 2010 की खसरा सेटमेन्ट जमाबन्दी अनुसार आ०नं० 942 रकबा 4.14 बीघा भूमि भी खातेदार ख्वाजा हुसैन, अब्दुल हमीद, आजमुद्दीन, वहीदुद्दीन, शहीदुद्दीन पिता नुरूद्दीन मुसलमान (पिंजारा ) सा. देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी । प्रार्थना पत्र में वहीदुद्दीन के पुत्र बदरूद्दीन के द्वारा भी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया कि स्व. नुरूद्दीन मंसुरी (नद्दाफ) के वारिसान् के नाम 1. ख्वाजा हुसैन 2. हाफीज अब्दुल हमीद 3. आजमुद्दीन 4. वहीदुद्दीन 5. सईदुद्दीन पांच पुत्र ही होना शपथ पत्र अनुसार सत्यापन प्रमाणित किये गये है। इस प्रकार खातेदार के पुत्र के स्वयं शपथपत्र, साबिक जामाबन्दी मौजा सांगरिया व ग्राम निम्बाहेड़ा व मिलान क्षेत्रफल का जांच निरीक्षण कर पाया गया कि नुरूद्दीन मुसलमान के पाचों पुत्र के नाम सही करने पर ग्राम सांगरिया की वर्तमान् जमाबन्दी संवत् 2077–80 में खाता संख्या 6 आ0नं0 282 रकबा 0.57 हैक्टेयर में राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में प्रस्तावित संशोधित प्रविष्टि किया जाने हेतु प्रस्तावित किया गया।

5. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार निम्बाहेडा की अनुशंषा प्रतिवेदन ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेजो के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि कि वाके मोजा सांगरिया प0ह0 बडोलीमाधोसिंह तह0 निम्बाहेडा में वर्तमान खाता सं0 6 की आ0नं0 282 रकबा 0.5700 हेक्टैयर में नामान्तरकरण दिनांक 27 [illegible] खोला गया, परन्तु जब रोटेशन बदला तो लिपिकीय त्रुटी से [illegible] एक ही व्यक्ति है उसके नाम से इंतकाल में दो नाम दर्ज हो गये [illegible] अब्दुल हमीद एवं दूसरा हफीज खॉ दर्ज हुआ, जबकि हाफीज अब्दुल हमीद एक ही नाम हैं तथा अब्दुल हमीद एवं हफीज खॉ अलग अलग पुत्र नहीं हैं। इसलिये उक्त नाम की अशुद्धी को दुरूस्त किया जाना प्रस्तावित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:53:40 IST
Reason: SelfAttested

6. अतः तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा मोजा सांगरिया प0ह0 बडोलीमाधोसिंह तह0 निम्बाहेडा में वर्तमान खाता सं0 6 की आ0नं0 282 रकबा 0.5700 हेक्टैयर में

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

नामान्तरकरण दिनांक 27.04.62 को खोला गया, परन्तु जब रोटेशन बदला तो लिपिकीय त्रुटी से हाफीज अब्दुल हमीद जो कि एक ही व्यक्ति है उसके नाम से इंतकाल में दो नाम दर्ज हो गये पहला अब्दुल हमीद एवं दूसरा हफीज खॉ दर्ज हुआ, जबकि हाफीज अब्दुल हमीद एक ही नाम हैं तथा अब्दुल हमीद एवं हफीज खॉ अलग अलग पुत्र नहीं हैं जो प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ में अन्य दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2026–2029 , नामान्तरण दिनांक 27.04.1962, जमाबन्दी सम्वत् 2077–2080 की खाता संख्या 6,शपथ पत्र वारिसान वहीदुद्दीन, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रतिया पेश की है जिससे यह प्रमाणित होता है कि अब्दुल हमीद एवं हफीज खॉ नाम के एक ही व्यक्ति है जिसे सही किये जाने हेतु उचित प्रतीत होता है।

## आदेश

7. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि मोजा सांगरिया प0ह0 बडोलीमाधोसिंह तह0 निम्बाहेडा में वर्तमान खाता सं0 6 की आ0नं0 282 रकबा 0.5700 हेक्टैयर में लिपिकीय त्रुटी से हाफीज अब्दुल हमीद जो कि एक ही व्यक्ति है उसके नाम से इंतकाल में दो नाम दर्ज हो गये पहला अब्दुल हमीद एवं दूसरा हफीज खॉ दर्ज हुआ, जबकि हाफीज अब्दुल हमीद एक ही नाम हैं तथा अब्दुल हमीद एवं हफीज खॉ अलग अलग पुत्र नहीं हैं। इसलिये उक्त नाम की अशुद्धी को दुरूस्त कर तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

| क्र0स0 | वर्तमान प्रविष्टी जमाबन्दी 2077–2080 | संशोधित प्रविष्टी |
|---|---|---|
| 1 | अजमुद्दीन पुत्र नुरूद्दीन 1/6 मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा | आजमुद्दीन पुत्र नुरूद्दीन 1/5 मुसलमान सा. निम्बाहेडा |
| 2 | (अ) अब्दुल हमीद पुत्र नुरूद्दीन 1/6 मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा<br>(ब) हफीज खां पुत्र नुरूद्दीन 1/6 मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा | हाफिज अब्दुल हमीद पुत्र नुरूद्दीन 1/5 मुसलमान सा. निम्बाहेडा |
| 3 | वहीदुद्दीन पिता नुरूद्दीन 1/6 मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा | वहीदुद्दीन पिता नुरूद्दीन 1/5 मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा |
| 4 | साईदुद्दीन पिता नुरूद्दीन 1/6 मुसलमान सा. निम्बाहेडा | सईदुद्दीन पिता नुरूद्दीन 1 / 5 मुसलमान सा. निम्बाहेडा |
| 5 | हुसैन पिता नुरुद्दीन 1/6 मुसलमान सा. निम्बाहेडा | ख्वाजा हुसैन पिता नुरूद्दीन 1/5 मुसलमान सा. निम्बाहेड़ा |

शेष खाता बदस्तुर हैं ।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 16:53:40 IST
Reason: SelfAttested

14/2/23

(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)